

नायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली

आदेश अन्तर्गत धारा 138 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

क्रमांक : राजस्व / अभिवान / 2024 / 137-0

दिनांक : 20 / 07 / 2024

प्रार्थनापत्र में अंकित खाते के खातेदार का नाम दुरुस्त कर **किश**
पिता **परमालबाना** . . . के स्थान पर श्री **किशनलाल**
पिता **परमालबाना** . . . दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार
आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही को पालना प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार / नायब तहसीलदार **चिखली** को पालनार्थ।
2. तहसीलदार श्री **किशनलाल**
3. राक्षत पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी / प्रभारी अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर